US-113
04-01-2022

<u>अत्यंत महत्वपूर्ण/विधानसभा</u>
<u>विशेष पत्र वाहक/ई–मेल द्वारा</u>

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
<u>आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.</u>

एफ.53(...31..)/अता./ ता प्र.सं...113../द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022/दिविस/श.वि./1345-47 दिनांकः 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
<u>पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.</u>

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. ....113....मान्नीय विधायक श्री...राजेश ऋषी.......दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री राजेश ऋषि

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 113

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	जनकपुरी विधानसभा के वार्ड 15 एस, 16 एस, 17 एस और 18 एस में एसडीएमसी द्वारा वर्ष 2018 से 2021 दिसंबर तक कितने बन रहे और बन गए मकानों और कोठियों को बुक किया गया, पूर्ण विवरण नोटिस कॉपी के साथ दे;	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग, पश्चिमी क्षेत्र द्वारा वर्ष 2018 से 2021 दिसंबर तक सम्बन्धित वार्डो मे कि गई बुकिंग की जानकारी निम्नलिखित है:– वार्ड सं0 015–एस0 209 वार्ड सं0 016–एस0 159 वार्ड सं0 017–एस0 111 वार्ड सं0 018–एस0 429 उपरोक्त सभी बुंकिग मे विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गए है। तथा वर्ष 2018 से 2021 दिसंबर के दौरान 908 सम्पतियों को नोटिस जारी किए गए है, इतने अधिक नोटिसों की प्रतिलिपि बहुत अधिक विस्तृत (Voluminous) होने के कारण उपलब्ध कराना संभव नही है।
ख	किन किन बिल्डिंग, मकानों, दुकानों, फ्लैटस और कोठियों पर कार्रवाई की और किन किन पर नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, पूर्ण विवरण दें;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग द्वारा सैक्शन 343/344 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। सिलिंग व भवन गिराने की कार्यवाही के अलावा 344(ii) में कार्य रुकवाने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सूचित किया जाता है और बिजली, पानी विच्छेद कराने हेतु सम्बन्धित विभाग को भी सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उप–पंजीयक को सम्पति खरीद बेच को सीमित करने हेतु भी सूचना भेजी जाती है।
ग	वार्ड 16 एस की कोठी नं. सी 3/1, सी4एच/162, सी4बी/335, वार्ड 18 एस की ई 12, ई13, चाणक्य प्लेस पार्ट1 पर अब तक कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार **सी3/1, जनकपुरी**:– उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पति का नक्शा भवन मुख्यालय द्वरा आई.डी. सं0 10038344–02 द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा दिनांक 02.12.2021 को भवन विभाग, पश्चिमी क्षेत्र द्वारा सम्बन्धित सम्पति को नियमित भी किया जा चुका है। **सी4एच/162, जनकपुरी**:– उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पति को डी0डी0ए0 के Standard Plan के विरुद्ध निर्माण कार्य के कारण डी0एम0सी0 एक्ट धारा 343/344(1) के तहत फाईल सं0 EE(B)-II/WZ/UC/21/357 दिनांक 09.08.2021 बुक किया जा चुका है। **सी4बी/335, जनकपुरी**:– उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पति को डी0डी0ए0 के Standard Plan के विरुद्ध निर्माण कार्य के कारण डी0एम0सी0 एक्ट धारा 343/344 के तहत फाईल सं0 EE(B)-II/WZ/UC/20/408 दिनांक 21.12.2020 बुक

Scanned by TapScanner

<table>
<tr><td></td><td></td><td>किया जा चुका है। तथा दिनांक 11.02.2021 को सम्पति पर तोड–फोड (Demolition) की कार्यवाही भी कि जा चुकी है।
<u>ई0–12, चाणक्य प्लेस, पार्ट–1</u>:– उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पति को अवैध निर्माण के चलते डी0एम0सी0 एक्ट की धारा 343 / 344 के तहत फाईल सं0 EE(B)-II/WZ/UC/21/456 दिनांक 09.11.2021 द्वारा बुक किया जा चुका है। साथ ही बिजली, पानी कटवाने हेतु व रजिस्ट्रारी पर रोक लगाने हेतु सम्बन्धित विभागो को पत्र जारी किया जा चुका है। सिलिंग की कार्यवाही हेतु डी0एम0सी0 एक्ट धारा 345–ए0 के तहत फाईल तैयार की जा चुकी है।
<u>ई0–13, चाणक्य प्लेस, पार्ट–1</u>:– उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पति को अवैध निर्माण के चलते डी0एम0सी0 एक्ट की धारा 343 / 344 के तहत फाईल सं0 EE(B)-II/WZ/UC/20/455 दिनांक 09.11.2021 द्वारा बुक किया जा चुका है। साथ ही बिजली, पानी कटवाने हेतु व रजिस्ट्रारी पर रोक लगाने हेतु सम्बन्धित विभागो को पत्र जारी किया जा चुका है। सिलिंग की कार्यवाही हेतु डी0एम0सी0 एक्ट धारा 345–ए0 के तहत फाईल तैयार की जा चुकी है।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>जनकपुरी में चंदर नगर के सामने वाली डीडीए की ए1 ग्रीन बेल्ट पर स्कूल बनाने की अनुमति किस नियम के तहत दी गयी, अनुमति की कापी सहित पूर्ण विवरण दें; और</td><td>यह प्रमाणित किया जाता है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय ए/1/ए जनकपुरी 1970 से चल रहा है तथा विद्यालय ए/1/ए जनकपुरी डी डी ए ग्रीन बेल्ट पर नहीं बना हुआ है।</td></tr>
<tr><td>ड</td><td>जनकपुरी में वार्ड 15एस, वार्ड 16एस, वार्ड 17एस और वार्ड 18एस की सफाई के लिए कितने कर्मचारी हैं और कितनी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, वार्डवाइज विवरण दें?</td><td>जनकपुरी में वार्ड 15एस, वार्ड 16एस, वार्ड 17एस और वार्ड 18एस की सफाई के लिए कर्मचारी और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का विवरण निम्न प्रकार हैः–
<table>
<tr><th>वार्ड सं0</th><th>सफाई कर्मचारी</th><th>कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की सं0</th></tr>
<tr><td>15एस</td><td>165</td><td>07 ऑटो टिप्पर 01 टाटा 909</td></tr>
<tr><td>16एस</td><td>120</td><td>07 ऑटो टिप्पर</td></tr>
<tr><td>17एस</td><td>102</td><td>07 ऑटो टिप्पर 01 टाटा 909</td></tr>
<tr><td>18एस</td><td>174</td><td>07 ऑटो टिप्पर 01 टाटा 909</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

Scanned by TapScanner